राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 161 /2021

1. जयसिंह पुत्र जयलाल
2. मनोज पुत्र जयलाल
3. हरफूल पुत्र जयलाल
4. ज्याना पत्नी जयलाल

जाति जाट निवासी ढोसी तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.)

.... प्रार्थीगण

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 23–07–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम ढोसी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 80 व ग्राम चुन्दाड़ा स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 34 में प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम जयनारायण के स्थान पर जयलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2076–79 खाता सं. 80 ग्राम ढोसी व नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 34 ग्राम चुन्दाड़ा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकी प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चुन्दाड़ा स्थित भूमि बाबात चाहा गया दुरूस्ती का अनुतोष प्रत्याहारित कर ग्राम ढोसी स्थित भूमि के राजस्व रिकार्ड में ही दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम ढोसी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 80 प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम जयनारायण के स्थान पर जयलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ढोसी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 लगायत 2079 के खाता संख्या 80 प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

जयनारायण के स्थान पर जयलाल दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-07-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

Scanned with CamScanner